

खण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
30/22	212 RTA	बोलापुरा	इ.०.३१
वादी		वाद शीर्षक	प्रतिवादी
रामकन्या		बनाम	रामचरण वगै.

वकील :- निरंजी लाल माथव एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** **विविध संदर्भ**

17/7/22

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 4-7-2022 को पेश हो।

4/7/22

अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21.8.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

21/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तामील समत प्रारत। प्रति. उम 1-20 वावग्रह सूचना के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते वहस पत्रावली दि. 27/9/22 को पेश हो।

27/9/22

अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.11.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वहस नहीं हो सकी है। समझ-बूझ है वास्ते वहस पत्रावली दिनांक 19/12/22 को पेश हो।

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

19¹²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। वकालत नहीं हो सकी है। सिद्ध चाहा है। पत्रावली वाला वकालत दिनांक 31/01/23 को पेश हो।

31⁰¹/₂₃

अपने पीछासीन अधिकारी के ^{स्थानान्तरण} अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिथति में दिनांक 28/1/23 को पेश हो।

न्यायालय सहायक अधिकारी
छबड़ा (बारा)

28³/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। वकालत सिद्ध चाहा है। वास्तव में पत्रावली दिनांक 10/4/23 को पेश हो।

10⁴/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली पेशाल सुभार होकर दाखिल दफतर हो।